


7-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व वाद दिनांक 17.03.2023 को दर्ज करने के बाद प्रतिवादीगण के सम्मन डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। वादी वकील को सम्मन तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी वादी वकील ने प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं किये। एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत राजस्व वाद अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीभन्ना

